विवरण पत्रिका

अनुक्रमांक..... 700

शासकीय अरविन्द महाविद्यालय

किरन्दुल जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

शैक्षणिक सत्र:
20.....- 20.....

शासकीय अरविन्द महाविद्यालय

किरन्दुल,जिला-दक्षिण बस्तर,दन्तेवाड़ा,छ.ग.

विवरण पत्रिका

महत्वपूर्ण - सूचना

1.कृपया इस पर विशेष ध्यान दें :-

छात्र आवेदन जमा करने की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखें । आवेदन पत्र प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में साक्ष्य स्वरुप यह पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक शुल्क लेखा शाखा में जमाकर उसकी रसीद तत्काल प्राप्त करें । अधिकृत लिपिक के अलावा महाविद्यालय के किसी अन्य कर्मचारी के पास शुल्क जमा न करें, वरना उसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन पर नहीं होगी ।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रों को भी प्रवेश प्राप्त करते समय शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क अनिवार्य रुप से जमा करना होगा । अपने आवेदन पत्र के साथ परिचय-पत्र,विद्यार्थी पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर जमा करें । प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र जमा करने एवं प्रवेश लेने अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय के आदेशानुसार समय - समय पर प्राचार्य द्वारा घोषित की जावेगी । विश्वविद्यालय के नियमानुसार विषय परिवर्तन की अनुमति 14 अगस्त के पश्चात नही दी जा सकेगी ।

2. अपूर्ण एवं बिना प्रमाण -पत्रों के आवेदन -पत्रों पर विचार नही किया जावेगा । दसवीं कक्षा की अंकसूची की प्रतिलिपि भी अतिरिक्त रुप से संलग्न करना अनिवार्य है

3. दंतेवाड़ा जिले के बाहर से इस विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी तभी प्रवेश पा सकेगा जब इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जहाँ से आ रहे है, वहाँ उनके अध्ययन की सुविधा नहीं है ।

(क)प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत :-

(अ) महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम संख्या निम्नलिखित होगी ।

बी.ए.प्रथम भाग	80	बी.कॉम.प्रथम भाग	40	बी.एस.सी.प्रथम भाग	40
बी.ए.द्वितीय भाग	80	बी.कॉम..द्वितीय भाग	40	बी.एस.सी.द्वितीय भाग	40
बी.ए.तृतीय भाग	80	बी.कॉम.तृतीय भाग	40	बी.एस.सी.तृतीय भाग	40

एम.ए.पूर्व/अंतिम - समाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/हिन्दी 30 प्रतिकक्ष।

एम.एस.सी.-पूर्व/अंतिम/रसायनशास्त्र/प्राणी शास्त्र-25 प्रति कक्षा।

(ब) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाएगा,परन्तु अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे ।

(स)महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुविधायें मुख्यत: प्रदेश जिले के निवासियों के लिए है ।

(द) महाविद्यालय में प्रवेश एक विशेषाधिकार है, जिसे निष्ठापूर्वक कार्य एवं सदा-चरण से अर्जित किया जाना चाहिए ।

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है । उपलब्ध अध्ययन सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता है ।

(अ)प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जा सकेगा । योग्यता का मानदण्ड अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों का महायोग (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों को लेकर)होगा । 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालो को प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

(ब) ऐसी परीक्षा के लिए (जिसमें स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने की सुविधा है)अनुतीर्ण छात्र को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा यह प्रतिबंध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा. जो संकाय परिर्वतन चाहते हैं,पर संकाय परिर्वतन की सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगी । ऐसे छात्रों के आवेदनों पर स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा । स्नातक स्तर में प्रवेश के बाद महाविद्यालय छोड़ने या परीक्षा में बैठने पर फिर से प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

(स)स्नातक स्तर की कक्षाओं में सिर्फ एक विषय में पूरक प्राप्त छात्रों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश मिल सकेगा और पूरक परीक्षा में अनुतीर्ण होने पर प्रवेश निरस्त माना जावेगा ।

नोट : शासकीय अथवा अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत् कर्मचारियों को तथा प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा । ऐसे व्यक्तियों का अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु निजी परीक्षार्थी के रुप में परीक्षा में बैठने की सुविधा उपलब्ध है ।

4. जिन छात्रों का आचरण असंतोषजनक रहा,अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशान्ति की आशंका है, ऐसे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा । इस संबंध में नीचे दी गई आचरण संहिता देखी जाये ।

5. अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 18 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यदि आरक्षित वर्ग के पर्याप्त प्रवेशार्थी न हो, तो उनके स्थान पर दूसरे आरक्षित वर्ग प्रवेशार्थियों को दिये जा सकते हैं । यदि दोनों आरक्षित वर्ग के पर्याप्त प्रवेशार्थी न हो, तो ऐसे स्थान सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों को दिये जा सकते हैं आरक्षित स्थानों के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

(ख)आचरण संहिता :-

1. प्रवेशित छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्याख्या के अंतर्गत निर्धारित प्रकार से अध्ययन पर लगाएगा । साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में भी पूरा-पूरा सहयोग देगा ।

2. कॉलेज की सम्पत्ति,भवन,पुस्तकालय,प्रयोगशाला,छात्रावास आदि की शांति,सुव्यवस्था,सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र रुचि लेगा और इन्हें कायम रखने में और सुधारने में सहकार्य करेगा । इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से न तो भाग लेगा और न दूसरों को उकसायेगा ।

3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगा और भाग लेगा और बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षा अथवा परीक्षा से अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

4. प्रत्येक छात्र अपने व्यवहार में सहपाठियों और शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा तथा ऐसा आचरण करने वालों का साथ नहीं देगा ।

5. छात्रों को सरल,निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए । अतएव विशेषत: कॉलेज या छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ वर्जित रहेगा । वेशभूषा में भी छात्रों को तड़क-भड़क विलासिता शोभा नहीं देती,इसका ध्यान रखना होगा ।

6.छात्रों को यदि कोई कठिनाई हो,तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से और शान्तिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

7.आंदोलन,हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग छात्र नहीं अपनायेंगें ।

8.छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनैतिक दलों,कार्यकर्ताओं अथवा समाचार-पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं मांगेगा ।

9.परीक्षाओं में या उनके संबंध किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधन का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दूराचार माना जावेगा ।

10.महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और किर्ति जिस प्रकार बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे,ऐसा व्यवहार छात्रों के द्वारा अनुशासन और समय में रहकर करना चाहिए ।

11.छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि आचरण के इन नियमों को भंग करने वाले दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड दिलाने में सहयोग दे,जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य अध्ययन शांति और मनोयोग के साथ चल सके ।

12. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न पड़े । ऐसा हुआ तो उनका नाम तत्काल कॉलेज छात्रों की सूची से हटा दिया जाएगा और न वे कॉलेज में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बने रह सकेंगे ।

(ग)उपस्थिति सम्बन्धी विश्वविद्यालय के नियम :-

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 के अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार नियमित महाविद्यालय के छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है । इस प्रावधान का दृढ़ता से पालन किया जाएगा ।

(घ) विश्वविद्यालयीन अधिनियम में प्रावधान :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर, ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है । अनुशासनहीनता के लिए प्राचार्य सक्षम है । अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है ।

(1) निलम्बन

(2) निष्कासन

(3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना ।

महाविद्यालय परिसर में रैंगिंग किसी भी स्तर पर पूर्णत: वर्जित है रैंगिंग में लिप्त विद्यार्थियों के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(ड़) महाविद्याययीन स्तर पर उपलब्ध होने वाली छात्रवृत्तियाँ

क्र.	छात्रवृत्ति का प्रकार	अवधि	दर	आधार
1.	2.	3.	4.	5.
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां			
	1.स्नातक	3 वर्ष	प्रथम वर्ष 75/- प्रतिमाह (छात्रावासी) प्रथम वर्ष 50/-प्रतिमाह गैर छात्रावासी अधिक 110/-प्रतिमाह छात्रावासी द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिए । 75/-प्रतिमाह और छात्रावासी द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिए ।	योग्यता एवं साधन (अर्हकारी) परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिमाह 60 या उससे अधिक तथा माता -पिता की आय 6000/-रु.वार्षिक तक अनिवार्य है ।
2.	प्रायमरी एवं हायर सेकेण्डरी के शिक्षकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति			
	1. स्नातक	3 वर्ष	1 अनुसार	योग्यता एवं साधन
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति			
	1. स्नातक	3 वर्ष	75/- प्रतिमाह छात्रावासी 65/- प्रतिमाह गैर छात्रावासी	योग्यता एवं साधन(अर्हकारी) परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 या उससे अधिक तथा माता- पिता की आया 6000/- रु.वार्षिकतक होना चाहिए ।
	2.स्नातक शिष्यवृत्तियां	6 वर्ष	50/- प्रतिमाह गैर छात्रावासी 60/- प्रतिमाह छात्रावासी	केवल योग्यता । इस छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र/छात्राएं आवेदन करें ,जिन्होने हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों

3.	स्नातक शिष्यवृत्तियां	3 वर्ष	50/- प्रतिमाह गैर छात्रावासी 60/- प्रतिमाह छात्रावासी	योग्यता एवं साधन।इस शिष्यवृत्ति हेतु वे छात्र/छात्रायें आवेदन करें जिन्होने हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 45% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके माता-पिता की आय रु.6000 वार्षिक के अधीन हो ।
4.	महाविद्यालय के लिए खेलकूद छात्रवृत्तियां	1 वर्ष	50/-	योग्यता
5.	रा.छा.सेना सीनियर	1 वर्ष	50/- प्रतिमाह	योग्यता
6.	मृत शास.कर्म.के बच्चों को शिष्यवृत्तियाँ पाठ्यक्रमानुसार छात्रवृत्तियों की तरह			आय सीमा रु.6000 वार्षिक मृत शास. कर्मचारी के विभागीस अधिकारी का प्रमाणीकरण आवश्यक है ।
7.	मृत सैनिकों के बच्चों को विशेष शिष्यवृत्तियाँ पाठ्यक्रमानुसार छात्रवृत्तियों की तरह		100/- प्रतिमाह छात्रावासी 65/- प्रतिमाह गैर छात्रावासी	मृत सैनिकों का छ.ग. निवासी होना आवश्यक है ।
8.	निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति अथवा एकमुश्त अनुदान पाठ्यक्रमानुसार छात्रवृत्तियों की तरह			निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर अन्य छात्रवृत्तियों की तरह
9.	डाकुओं तथा डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियाँ			
	पाठ्यक्रमानुसार		75/- प्रतिमाह छात्रावासी स्नातक 50/- प्रतिमाह गैर छात्रावासी 100/- छात्रा स्नातकोत्तर 75/-गैर छात्रावासी स्नातकोत्तर	साधन के आधार पर एवं कलेक्टर के प्रमाणीकरण पर

टीप - 1.राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन-पत्र छात्र/छात्राओं को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता वृत्ति के अनुसार भेजे जाते हैं । इन आवेदन -पत्र को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख माध्यम से संचालक,महाविद्यालयीन शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन,रायपुर को भेजा जाना चाहिए ।

2.स्नातक शिष्यवृत्तियां संचालन महाविद्यालयीन शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

3. अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र महाविद्यालय के माध्यम से संचालक,महाविद्यालयीन शिक्षा की निर्धारित तिथि पर भेजा जाना चाहिए ।

4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।

भाग-2

महाविद्यालय का परिचय :-

इस महाविद्यालय की स्थापना अगस्त, 1973 में बैलाडीला शिक्षण समिति के द्वारा किया गया था ।एक वर्ष तक कोचिंग कॉलेज के रुप में चलने के पश्चात् अगस्त, 1974 में इसे रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर की संबंधता प्राप्त हो गई । अगस्त 1983 में इसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासनाधीन किया गया । महाविद्यालय का वर्तमान भवन एन.एम.डी.सी.के द्वारा प्रतिमाह एक रुपये मात्र के किराये पर दिया गया था । महाविद्यालय का छात्रावास भवन श्री लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट (बीमा कम्पनी) द्वारा किया गया था । इस संस्था को सम्पूर्ण दक्षिण बस्तर में सर्वप्रथम महाविद्यालय शिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय प्राप्त है । सत्र 1986-87 से इस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में तथा सत्र 1987-88 से वाणिज्य संकाय में स्नातक कक्षा प्राप्त की जा चुकी है। सत्र 2004-05 से स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र, हिन्दी एवं अर्थशास्त्र विषयों में जन भागीदारी समिति के द्वारा प्रारंभ किया गया है । सत्र 2009-10 से महाविद्यालय को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की संबंधता प्राप्त हो गई है ।

महाविद्यालय सत्र :-

महाविद्यालय का शिक्षा सत्र 1 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होगा । उस समय प्रत्येक प्रवेश छात्र के लिए उपस्थित होना आवश्यक है ।

1. प्रवेश

1. (अ)महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में प्रार्थना करना होगा जो कि विवरण के साथ संलग्न है । आवेदन पत्र स्वयं विद्यार्थी द्वारा भरा जाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक विद्यार्थी के पिता/पालक विवरण पत्रिका में प्रवेश हेतु वर्णित शर्तो को मानने के लिए बाध्य होंगे ।

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं प्रवेश शुल्क पटाने की अन्तिम तिथि निम्नानुसार होगी ।

कक्षाएं	आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	प्रवेश हेतु शुल्क पटाने अन्तिम तिथि
भाग एक	कक्षाओं के लिए 30 जून तक	प्रवेश की घोषणा की तिथि सात दिन के भीतर
अन्य	कक्षाओं के लिए समय -समय पर सूचित किया जावेगा ।	

निम्नलिखित आवेदन-पत्रों पर सामान्य विचार नहीं किया जाएगा :-

1. जिन आवेदनों की अर्हकारी परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम, अंक प्राप्त हुए हो, उनके आवेदनों पर ।
2. महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों की प्रवेश अर्हता उनको प्राप्त अंकों के महायोग के आधार पर ही की जावेगी ।

3. आवेदक को जो प्रत्येक विषय में अलग-अलग उत्तीर्ण नहीं है ।
4. उन आवेदनों पर जिनमें प्रथम वर्ष में चाहे गये संकाय और विषय आवेदक के अर्हकारी परीक्षा संकाय और विषय से अलग है ।
5. आवेदन-पत्र जो निंधारित प्रपत्र में नहीं भरे गये है अथवा जो अस्पष्ट और अपूर्ण है ।
6. आवेदन-पत्र विवरण पत्रिका के खंड 2 (ब) के अनुसार आवश्यक प्रपत्रों सहित नहीं है ।
7. यू.एफ.एम.में पकड़े गये हो ।

(ब) निम्नलिखित प्रमाण -पत्रों की अविकल प्रतिलिपि जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, फोटो स्टेट प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

1. अंतिम विद्यालय अथवा महाविद्यालय छोड़ने बाबत् प्रमाण-पत्र मूल प्रति (यह प्रमाण -पत्र उन छात्रों के लिए आवश्यक नहीं है.जो इसी महाविद्यालय में पहले अध्यनरत् है ।
2. यदि छात्र स्वाध्यायी हो.तो अन्तिम परीक्षा (जिसमें से उत्तीर्ण हो) से संबंधित प्रमाण-पत्र अथवा अंक सूची की प्रतिलिपि ।
3. जो छात्र बस्तर विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा मण्डल छ.ग. के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य बोर्ड के छात्र है और जिन्होने छत्तीसगढ बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है उनसे प्राप्त प्रवजन प्रमाण पत्र ।
4. स्वाध्यायी छात्र को अपनी सुयोग्य व्यवहार एवं उत्तम जो आचरण संबंधी किसी भद्र नागरिक से प्राप्त प्रमाण -पत्र ।
5. महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त शुल्क प्राप्ति रसीद ।
6. टिप्पणी : (1) के आवेदन शुल्क किसी भी दिशा में लौटाया नहीं जावेगा ।
   (2) प्रवेश की वैधता का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा होगा । (3) जिन छात्रों ने निम्नलिखित परीक्षायें उत्तीर्ण कर ली हैं,वे महाविद्यालय में प्रथम वर्ष उपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश के योग्य माने जावेगें
1. वे समस्त परीक्षायें जो कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष उपाधि पाठ्यक्रम के लिए मान्य कर ली गई है ।
2. और वे परीक्षायें जो बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा अन्य कक्षाओं (प्रथम वर्ष के अतिरिक्त) में प्रवेश समकक्ष स्वीकार कर ली गयी है ।
3. अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः प्रवेश नहीं मिल सकेगा । ऐसे छात्रों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा, जिन्होने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग अथवा दुर्व्यवहार किया हो, जिसका आचरण संदेहास्पद हो ।
4. छात्रों के प्रवेश के संबंध में अन्तिम निर्णय प्राचार्य का होगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों का अधिवास निम्नलिखित होना आवश्यक है ।
6. निम्नलिखित दशाओं में किसी छात्र का नाम महाविद्यालय के उपस्थित पत्रक से अलग करने का अधिकार प्राचार्य को है ।
   (क) महाविद्यालय शुल्क जमा न करने पर ।
   (ख) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हासिल न करने पर ।
   (ग) छात्र का चरित्र प्राचार्य की दृष्टि में असंतोष होने पर ।
   (घ) छात्र का अवांछित तत्वों का साथ देने पर ।
7. आचरण संहिता में दिये नियमों का पालन छात्रों के लिए अनिवार्य है।

2. शिक्षण का पाठ्यक्रम :-

निम्नलिखित विषयों में महाविद्यालय में अध्ययन किया जाता है । पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए स्वीकृत पत्रिका पर आधारित है । प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं अपनी पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था करें ।

(अ) बी.ए.भाग 1,2 एवं 3
(ब) बी.एस.सी.भाग 1,2 एवं 3
(स) बी कॉम.भाग 1,2 एवं 3

बी.कॉम/बी.ए./बी.एस.सी.भाग1,2 एवं 3 के लिए उच्च शिक्षा अनुदान आयोग निर्धारित त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम ।

सभी संकायों के बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम.कक्षाओं में आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य विषयों के रुप में रहेगा । पहला घटक हिन्दी भाषा तथा दूसरा घटक अंग्रेजी भाषा (संदर्भ भाषा के रुप में रहेगा विद्यार्थी को तीनों वर्ष ये दोनों भाषायें पढनी होगी । प्रत्येक भाषा का प्रतिवर्ष 75 अंको का प्रश्नपत्र होगा । इनके अंक श्रेणी में जुड़ेगें । आधार पाठ्यक्रम सभी संकायों के लिए एक समान होंगे । साथ ही इन दोनों विषयों में विद्यार्थियों को अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।

मुख्य विषय किसी संकाय के संदर्भित अध्यादेश के अनुसार चयन होंगे ।बी.ए./बी.एस.सी.के समूह निर्धारित है । छात्र कोई तीन विषय चयन करेंगे । प्रत्येक 75-75 अंकों के प्रश्न -पत्र होंगे ।

नये पाठ्यक्रम को लागू करने पर स्थिति इस प्रकार होगी -

विषय	प्रश्न - पत्र	अंक
आधार पाठ्यक्रम	हिन्दी भाषा एक	75
आधार पाठ्यक्रम	अंग्रेजी भाषा एक	75
वैकल्पिक विषय	प्रथम दो	75-75 या 50-50
वैकल्पिक विषय	द्वितीय दो	75-75 या 50-50
वैकल्पिक विषय	तृतीय दो	75-75 या 50-50
प्रायोगिक यदि हो तो,तीनों विषयों में	दो	50-50-50
इस प्रकार कुल अंक संख्या तीनों (प्रायोगिक यदि हो)		450
कुल योग		300
यदि प्रायोगिक हो		300
यदि प्रायोगिक न हो		450

सभी सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों में और प्रायोगिक परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है परीक्षा में श्रेणी,प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रदान की जावेगी ।

(घ) बी.ए. प्रथम,द्वितीय,तृतीय भाग के विद्यार्थी निम्नांकित मुख्य वैकल्पिक विषयों में कोई तीन विषय चयन करेंगे । अंग्रेजी,हिन्दी,राजनीति शास्त्र,समाजशास्त्र,अर्थशास्त्र,हिन्दी साहित्य ।

(च) बी.एस.सी.प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय भाग के विद्यार्थी निम्नांकित मुख्य वैकल्पिक विषयों में कोई तीन विषय चयन करेंगे । भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणी-शास्त्र ।

(छ) बी.कॉम.प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग के विद्यार्थियों को सी अनिवार्य विषय पढने होंगें ।

संबद्धता :-

महाविद्यालय,बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से सम्बद्ध है ।

3. खेलकूद :-

महाविद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था है।

4. शुल्क :-

जो छात्र मध्य सत्र में इसी राज्य के किसी शासकीय महाविद्यालय से इस महाविद्यालय में प्रवेश लेते है उनसे ऐसे प्रवर्जित उस अवधि के लिए शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा, जिस अवधि के लिए किसी शासकीय महाविद्यालय में प्रविष्ट थे।छात्रगण महाविद्यालय में प्रविष्ट पाने पर सम्पूर्ण सत्र के लिए शिक्षण शुल्क जमा करने को बाध्य हैं । फिर चाहे उन्हें किसी भी तारीख को महाविद्यालय में प्रवेश मिला हो या उन्होने महाविद्यालय छोड़ा हो (समस्त छात्र एवं छात्राओं पर उपरोक्त नियम लागू होगी ।)यदि महाविद्यालय के छात्रावास में प्रवेश मिला है तो प्रवेशार्थी को सम्पूर्ण सत्र के लिए छात्रावास शुल्क जमा करना होगा यदि किसी कारण वश कोई छात्र/छात्रा सत्र के बीच महाविद्यालय अथवा छात्रावास छोड़ता/छोडती है, तो उन्हें किसी विशेष दशा में ही शुल्क की राशि जमा करने के लिए कुछ रियायत दी जा सकेगी ।

5. शुल्क की दर :-

शासन की स्वीकृति के बिना शुल्क लौटाया नहीं जावेगा ।

6. शिक्षण शुल्क :-

1. बी.ए.त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम 115 रुपये प्रत्येक सत्र के लिए ।
2. बी.एस.सी.त्रिवर्षीय उपाधि पाठयक्रम 115 रुपये प्रत्येक सत्र के लिए ।

टिप्पणी : शिक्षण शुल्क दरों में शासकीय आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश मिलते ही निम्नांकित राशि अग्रिम जमा करनी होगी ।

क्र.	विवरण	रुपये
1.	प्रवेश शुल्क	3.00
2.	छात्र संघ प्रवेश शुल्क	2.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण निधि	5.00
4.	महाविद्यालयीन विकास शुल्क	25.00
5.	सम्मिलित निधि (छात्र संघ गतिविधियां)	32.00
6.	स्नेह सम्मेलन	5.00
7.	चिकित्सा शुल्क	3.00
8.	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00
9.	छात्र कॉमन रुम शुल्क	20.00
10.	धरोहर राशि	60.00
11.	नामांकन शुल्क	50.00
12.	विश्वविद्यालय छात्र कल्याण शुल्क	12.00

13.	जनभागीदारी शुल्क (अ) बी.ए./बी.कॉम	250.00
	(ब) बी.एस.सी.	300 .00
14.	विद्यार्थी बीमा शुल्क	5.00
15.	शारीरिक कल्याण शुल्क (PWF)	15.00
16.	अन्य	15.00
17.	अप्रवासन शुल्क (छ.ग.) के बाहर स्थित बोर्ड विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए	200.00
18.	महाविद्यालय की परीक्षा हेतु	2.00
19.	विज्ञान शुल्क (बी.एस.सी.के लिए)	25.00
20.	स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु जनभागीदारी शुल्क	1100.00

टीप – विश्व विद्यालय/शासन के निर्देशानुसार प्रवेश शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है ।

महाविद्यालय को छोड़ने के समय समस्त कक्षाओं के सभी छात्रों की (धरोहर) समावधान राशि लौटा दी जावेगी । महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को समावधान राशि प्राप्तार्थ अपने माता-पिता या पालक के हस्ताक्षर आवेदन -पत्र में प्राप्त करने होंगे । इस हेतु आवेदन की तिथि से एक माह की अवधि में यह राशि उनके पते पर भेज दी जाएगी।

समावधान राशि तभी लौटाई जावेगी, जबकि महाविद्यालय के समस्त शुल्क तथा छात्रावास शुल्क पटा दिये जायेंगे । यदि कोई बाकी है, तो काट दिया जावेगा । तीन वर्षों की अवधि में नहीं निकाली गयी समावधान की राशि लौटाई नहीं जावेगी ।

शिक्षण शुल्क के साथ समस्त अन्य शुल्क (समावधान राशि तथा सम्मिलित निधि भी) महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के समय एकमुश्त जमा करना होगा, जिसके अभाव से प्रवेश सम्भव नहीं होगा ।

शुल्क प्राप्ति का कार्यालयीन समय सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस (रविवार छोड़कर)पटायी गई राशि की रसीद सुरक्षित रखें । शिक्षण सत्र के मध्य यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़कर दूसरे महाविद्यालय में जाना चाहे, तो उसे (1) अपने निर्णय की पूर्व सूचना देनी होगी । (2) महाविद्यालय के समस्त शुल्क एवं 10 रुपये की अतिरिक्त राशि पटानी होगी ।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र के पालक को छात्र की प्रवेश तिथि से 15 दिन के अंदर एक अनुबंध पत्र देना होगा, जिसके न होने से छात्र का प्रवेश निरस्त घोषित किया जावेगा सत्र के बीच कालेज छोड़ने वाले छात्रों को पूरे सत्र का शुल्क देना होगा ।

सत्र के बीच कालेज छोड़ने वाले छात्रों को पूरे सत्र का शुल्क देना होगा

7. शुल्क मुक्ति की सुविधा :-

1. कृषक वर्ग के लिए

अ. बी.ए.,बी.एस.सी., बी कॉम.(त्रि – वर्षीय अपाधि पाठ्यक्रम)

79 रुपये प्रत्येक सत्र के लिए ।

कृषकों के पुत्रों एवं पुत्रियों अथवा स्त्री को जो भी निम्नलिखित परिभाषाओं के अंतर्गत आते हों,उपरोक्त उल्लिखित सुविधायें दी जा सकेगी । भूमि के वास्तविक स्वामी (खुद कास्त) अथवा उप-भू स्वामी जो

कि स्वयं खेती कार्य करते हों और भूमि पर पूर्णरुपेण अवलंबित है अथवा जिनके जीविकोपार्जन का साधन भूमि है बशर्ते उनका भू लगान 300 रुपये वार्षिक से अधिन न आंका गया हो ।निम्नलिखित जिलों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा जैसे रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर और उन जिलों के स्थानों में जहाँ पर वार्षिक भू -लगान 200 रु. से अधिक नहीं है ।

अ.जा./अ.ज.जा.के छात्र/छात्राओं एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं को शिक्षण शुल्क में पूरी छूट रहेगी ।

2. कृषि के श्रमिक अथवा कृषि कारीगर :-

(ब) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियां उपाधि पाठ्यक्रम तक के शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे । परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों से उक्त छूट आदि रियायत ली जावेगी । वह रियायत विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की प्राप्ति होने पर ही स्वीकृत होगी ।

(स) दो अथवा अधिक भाईयों एक समय (एक ही सत्र में) महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं,तो ज्येष्ठ अथवा ज्येष्ठतम को पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना होगा,जबकि अन्य भाई अर्धशिक्षण शुल्क जमा करा सकेंगे, इस प्रकार की सुविधा पूर्णकालिक नियमित अध्ययनरत् छात्र को ही दी जावेगी । यदि भ्राता अंशकालिक छात्र हैं, तो उक्त सुविधायें उनके कनिष्ठों को प्राप्त नहीं होगी ।

(द) अनुसूचित जाति,जनजाति तथा पिछड़ी जातियां बड़ी संख्या में शुल्क सुविधायें जैसे शिक्षण शुल्क में छूट,छात्रावास शुल्क तथा विश्वविद्यालीन परीक्षा शुल्क में रियायत/प्रवेश के लिए 30 % प्रवेश स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था है तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों को शिष्यवृत्तियां दी जावेगी । संबंधित छात्र उपरोक्त वृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है ।

8. उपस्थिति इत्यादि :-

1. विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए कम से कम 75% प्रत्येक विषय में उपस्थिति अनिवार्य है ।
2. महाविद्यालय के प्राधिकारीगण छात्र के सामान्य कार्यो और प्रगति तथा शारीरिक प्रशिक्षण एन.एस.एस. आदि में रुचि प्रदर्शित करने वाले छात्रों के कार्यों से पूर्ण संतुष्ट हो ।
3. पूरक परीक्षार्थी के लिए छुट्टियों की गणना उपस्थिति में नहीं की जावेगी ।
4. महाविद्यालय से छुट्टी अनुमति प्राप्त किये बिना अपुपस्थित रहने पर 1 रुपये प्रतिदिन अनुपस्थिति का जुर्माना देना होगा । उक्त दिवस के लिए संबंधित को सामान्य उपस्थिति दर्शाया जावेगा । फिर चाहे उक्त दिवस किसी ही व्याख्यान अनुपस्थित हो । जो छात्र किसी कारणवश अवकाश लेना चाहता हो, एसे लिखित रुप से आवेदन पत्र अपने माता-पिता या पालक के हस्ताक्षर सहित प्राचार्य महोदय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अवकाश लेने से एक दिन पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
5. छात्रगण अपनी जिम्मेदारी पर छुट्टी की अनुमांते प्राप्त कर सकेंगे । विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति के प्रतिशत में कमी होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई भी छूट छात्रों को नहीं दी जावेगी ।

9. स्वास्थ्य निरीक्षक :-

(अ) विश्वविद्यालय के अनुसार हर एक छात्र तथा छात्रा को निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है । तिथि स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राचार्य महोदय द्वारा निर्धारित की जावेगी । जब तक बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के कार्यकारिणी द्वारा कोई आदेश नहीं होता,तक तक विद्यार्थियों का स्वास्थ्य निरीक्षण सत्र में दो बाद होगा ।

(ब) अगर विद्यार्थी स्वास्थ्य निरीक्षण में निर्धारित समय पर अनुपस्थित रहेगा, तो उसका निवारण स्वास्थ्य अधिकारी प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय कार्यकारिणी को भेजेगा और कार्यकारिणी छात्र को (1) 50 रुपये से ज्यादा दण्ड (2) विशेष प्रतिबन्ध (3) निष्कासन,अथवा (4) विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं के लिए,अयोग्य घोषित कर सकती है।

(स) हर छात्र तथा छात्रा को जो स्वास्थ्य प्रपत्र (अ) मिलेगा,उसे यह स्वास्थ्य अधिकारी को देगा/देगी ।

(द) प्रत्येक विद्यार्थी को स्वास्थ्य निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा नामजद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा ।

10. परिचय पत्र :-

प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र प्रवेश आवेदन पत्र में साथ ही फोटो लगा परिचय -पत्र जमा करेंगे ।

11. पुस्तकालय :-

महाविद्यालय में पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था है । समस्त छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय से पुस्तकें निम्नांकित नियमों के अनुसार प्रदान की जावेगी ।

1. प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही समय में अधिकतम दो पुस्तकें 15 दिन के लिए प्रदान की जावेगी ।
2. निर्धारित अंतिम तिथि तक विद्यार्थी, पुस्तकें पुस्तकालय में जमा करेंगे अन्यथा प्रतिदिन एक रुपया प्रति पुस्तक की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा ।
3. पुस्तके गुमने पर पुस्तक की वर्तमान बाजार कीमत के साथ संबंधित अवधि का दण्ड भी वसूल किया जावेगा । यदि गुमायी गई पुस्तक अनुपलब्ध होगी, तो प्रकाशक से सम्पर्क कर नई प्रति के लिए उनके द्वारा बतलायी गयी कीमत व विलम्ब शुल्क वसूल किया जाएगा ।
4. पुस्तकालय की पुस्तकें विद्यार्थियों के हित के लिए है। अतएव उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि पुस्तकों के पन्ने न फाड़े,पन्ना गंदा न करें,अथवा पुस्तक में अपना नाम या किसी प्रकार का चिन्ह न बनावें । इस नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

12. महाविद्यालय में रा.से.यो. का 100 छात्रों की इकाई है,जिसमें छात्र समाज सेवा से संबंधित साक्षरता अभियान आदि का कार्यक्रम करते है ।प्रतिवर्ष 120 घण्टे नियमित गतिविधि के अंतर्गत दो वर्ष पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाता है। उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत का अधिभार मिलता है ।